

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2014-15 में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-57/2015-1507-नौ-5-2015-197बजट /2014टीसी, दिनांक 13.03.2015 के पृष्ठ-2 के क्रम संख्या-3 पर उल्लिखित विवरण जो तालिका के कालम-1 में अंकित है, को कालम-2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

धनराशि (लाख रु0में)

1				2			
नागर निकाय का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	नागर निकाय का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
नगर पंचायत बहसूमा, मेरठ	वार्ड नं0-1 शमशान घाट की बाउण्ड्रीवाल, सिटिंग शेड एवं वार्ड नं0-4 में सी0सी0 इंटरलाकिंग टाईल्स आदि के कार्य।	60.00	30.00	नगर पंचायत बहसूमा, मेरठ	नगर पंचायत बहसूमा जनपद-मेरठ के अन्तर्गत वार्ड नं0-6 में सी0सी0 इंटरलाकिंग, हाल का निर्माण एवं शमशान घाट तक पहुंच मार्ग- धारा के खेत तक आदि के निर्माण कार्य	60.00	30.00
योग							30.00

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13.03.2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष प्रावधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

उमा शंकर सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-2047/नौ-5-2015-197बजट/2014 टीसी03, तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी मेरठ।
4. कोषाधिकारी, मेरठ।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत बहसूमा जनपद-मेरठ
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।